

उत्तर प्रदेश शासन

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या-37जी.आई./छ:-सानिप्र-10-200(15)2000
लखनऊ: दिनांक ०5मार्च,2010

वर्ष 1984 के दंगों की जाँच हेतु गठित न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के तहत लिये गये निर्णय विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1317के/छ:-सानिप-2006-200 (15)/2000, दिनांक 22.07.06 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर 1(5) में जो दंगा प्रभावित राज्य से पलायन कर अन्य राज्यों में रह रहें हैं, को पुनर्वास अनुदान रू0 2,00,000/- प्रति परिवार की दर से दिये जाने की व्यवस्था है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जो दंगा प्रभावित परिवार एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर गये थे और अब भी वहीं पर रह रहे हैं, को घोषित पुनर्वास अनुदान रू0 2.00 लाख पलायन करने वाले राज्य द्वारा दिया जायेगा। कृपया तदनुसार भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।



(आनन्द कुमार)

सचिव, गृह

संख्या-³⁷26जी.आई.(2)/छ:-सानिप्र-10 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गृह(पुलिस) अनुभाग-7।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/ वित्त (लेखा) अनुभाग-2।
9. सूचना अधिकारी, गृह विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)

सचिव